

प्रेस नोट –

थाना उल्दन

दिनांक- 22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध, अपराधियों एवं अवैध शराब के विरुद्ध जनपद झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 22.01.2025 थाना उल्दन पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्ता श्रीमती सीमा पत्नी मुकेश कुमार निवासी बंगराधवा थाना उल्दन जनपद झाँसी उम्र 47 वर्ष को 20 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर थाना उल्दन पर 13/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का पंजीकृत किया गया।

मु0अ0सं0 –

मु0अ0सं0-13/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्त –

श्रीमती सीमा पत्नी मुकेश कुमार निवासी बंगराधवा थाना उल्दन जनपद झाँसी उम्र 47 वर्ष

बरामदगी – कुल 20 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान – पलरा रोड सेकरा डेरा से 100 मी0 पहले कच्चे रास्ते पर

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-

01. उ0नि0 श्री अंकित धामा थाना उल्दन जनपद झाँसी
02. उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह थाना उल्दन जनपद झाँसी
03. म0का0 1938 कविता चौधरी थाना उल्दन जनपद झाँसी
04. का0 499 धनीराम थाना उल्दन जनपद झाँसी
05. चालक आरक्षी रोहित कुमार थाना उल्दन जनपद झाँसी